	candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunanchal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi, Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from employment exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Government or Commercial Organisations.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years	100% by direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee for considering confirmation consisting of: — (i) Additional Director, North Eastern Police Academy, Shillong - Chairman (ii) Joint Director, North Eastern Police Academy, Shillong - Member (iii) Deputy Director, North Eastern Police Academy, Shillong - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Plumber	*01 (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 2 (Rs. 19,900 – 63,200).

(5)	(6)	(7)
Not applicable	Between 18-25 years. (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in the case of General candidates and up to forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunanchal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi, Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from employment exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	**Essential :** (a) Matriculation or equivalent from a recognised Board or equivalent; and (b) possessing of diploma certificate in the plumber trade from a recognised institute; and (ii) two years' practical experience in plumbering job in a Government or Commercial Organisation.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years	100% by direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee for considering confirmation consisting of: — (i) Additional Director, North Eastern Police Academy, Shillong - Chairman (ii) Joint Director, North Eastern Police Academy, Shillong - Member (iii) Deputy Director, North Eastern Police Academy, Shillong - Member	Not applicable

[F. No. 23012/ 19 /2016-PC]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 449.–राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी बिजली मिस्त्री भर्ती नियम, 1988 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में बिजली मिस्त्री के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम – सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, बिजली मिस्त्री भर्ती नियम, 2017 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**–पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अर्हताएं आदि.**–भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**–वह व्यक्ति; –
   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

पूर्वोक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**–जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
बिजली मिस्त्री	01*(2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर – 2 (रु. 19,900–63,200 /–)